रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032025-261944 CG-DL-E-25032025-261944

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]

No. 1581

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2025/चैत्र 4, 1947 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2025/CHAITRA 4, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2025

सं. 21/2025

आय-कर

सा.का.नि. 193(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92गख की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छठा संशोधन) नियम 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आयकर नियम, 1962 में,--
 - (क) नियम 10नक के खंड (ख) में,--

2037 GI/2025 (1)

- I. उपखंड (iii) में अंत में ''या'' शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा;
- II. उपखंड (iii) के पश्चात निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात:--
 - ''(iv) इलैक्ट्रिक या हाईब्रिड इलैक्ट्रिक यानों में उपयोग के लिए लिथियम ऑयन बैटरी'';
- (ख) नियम 10नघ में,
 - I. उपनियम (2क) की सारणी में,--
 - (अ) क्रम संख्यांक 1 के स्तंभ संख्या (3) के खंड (ii) में, ''दो'' शब्द के स्थान पर ''तीन'' शब्द रखा जाएगा ;
 - (आ) क्रम संख्यांक 2 के स्तंभ संख्या (3) के खंड (ii) में, 'दो'' शब्द के स्थान पर ''तीन'' शब्द रखा जाएगा:
 - (इ) क्रम संख्यांक 3 के स्तंभ संख्या (3) के आरंभिक भाग में, ''दो'' शब्द के स्थान पर ''तीन'' शब्द रखा जाएगा;
 - (ई) क्रम संख्यांक 7 के स्तंभ संख्या (3) में, ''दो'' शब्द के स्थान पर ''तीन'' शब्द रखा जाएगा;
 - (उ) क्रम संख्यांक 8 के स्तंभ संख्या (3) में, ''दो'' शब्द के स्थान पर ''तीन'' शब्द रखा जाएगा;
 - II. उपनियम (3ख) में, "निर्धारण वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25" शब्दों और अंकों के स्थान पर "निर्धारण वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
- (ग) नियम 10नङ के उपनियम (2)के चौथे परंतुक में 'संश्रय के' शब्दों के पश्चात् ''एक निर्धारण वर्ष के लिए'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. 370142/6/2025-टीपीएल]

ठाकुर सिंह मपवाल, निर्देशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, साधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 145(अ) तारीख 24 फरवरी, 2025 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2025

No. 21/2025

INCOME-TAX

G.S.R. 193(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-section (2) of section 92CB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (Sixth Amendment) Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962,—
 - (a) in rule 10TA, in clause (b),-
 - I. in sub-clause (iii), at the end, the word "or" shall be inserted;
 - II. after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
 - "(iv) lithium ion batteries for use in electric or hybrid electric vehicles.";
 - (b) in rule 10TD,—
 - I. in sub-rule (2A), in the Table,—
 - (A) in Sl.No. 1, in column number (3), in clause (ii), for the word "two", the word "three" shall be substituted:
 - (B) in Sl.No. 2, in column number (3), in clause (ii), for the word "two", the word "three" shall be substituted;
 - (C) in Sl.No. 3, in column number (3), in the opening portion, for the word "two", the word "three" shall be substituted;
 - (D) in Sl.No. 7, in column number (3), for the word "two", the word "three" shall be substituted;
 - (E) in Sl.No. 8, in column number (3), for the word "two", the word "three" shall be substituted;
 - II. in sub-rule (3B), for the words and figures "assessment years 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 and 2024-25", the words and figures "assessment years 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 and 2026-27" shall be substituted;
 - (c) in rule 10TE, in sub-rule (2), in the fourth proviso, after the word, figures and letters "rule 10TD", the words "for one assessment year" shall be inserted.

[F. No. 370142/6/2025-TPL]

THAKUR SINGH MAPWAL, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 145(E) dated the 24th February, 2025.